न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 260 सन 2021

अनवान :–

1. जयलाल पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हनुमान सिह पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/07/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 131/43 की कुल 1.7370हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 135/81 की कुल 0.572हैक व खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है एवं दोना ही खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में अंकित अनुसार हुआ एवं बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार अपने अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा जिसका विवरण वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में अंकित अनुसार हुआ एवं बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 131/43 की कुल 1.7370हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 135/81 की कुल 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

572हैक्ट व खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है एवं दोना ही खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में अंकित अनुसार हुआ एवं बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार अपने अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 131/43 की कुल 1.7370हैक्ट भूमि वादी के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 135/81 की कुल 0.572हैक्ट व खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में अंकित अनुसार हुआ एवं बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया।

एक ही परिवार के सदस्य काश्त एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा करने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 135/81 की कुल 0.572 व खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 131/43 की कुल 1.7370हैक्ट भूमि जो वादी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जयलाल पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हनुमान सिह पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 260 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 135/81 की कुल 0.572 व खाता संख्या 148/134 की कुल 1.5180हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 131/43 की कुल 1.7370हैक भूमि जो वादी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते